भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3822 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023/20 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है

सीएसआर कार्यकलाप

3822. श्री रवनीत सिंह :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों के लिए नए दिशानिर्देशा जारी किए हैं, जिनमें ऐसे कार्यकलापों के लिए पत्तनों द्वारा अपने निवल वार्षिक लाभ के प्रतिशत आबंटन को विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न पत्तनों के प्रबंधन ने देश मे प्राथमिकता के आधार पर विशेषकर पत्तनों के आस-पास के स्थानीय लोगों के लिए सामुदायिक कल्याण पहलों को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी, हां। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.6.2023 को महापत्तन प्राधिकरण के लिए हेतु 'सागर-सामाजिक सहयोग' – संशोधित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दिशा-निर्देश 2023 जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों के तहत महापत्तनों को सीएसआर परियोजना को संस्वीकृत और अनुमोदित करने का अधिकार दिया गया।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, महापत्तनों को निम्नानुसार प्रत्येक वर्ष के लिए अपने निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में सीएसआर बजट बनाना अपेक्षित होगा:

पत्तन के निवल व्यय की वित्तीय स्थिति (विगत वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष में सीएसआर की व्यय रेंज लाभ का (%)
100 करोड़ रु. से कम	3% - 5%
100 करोड़ रु. से 500 करोड़ रु.	2% - 3% (न्यूनतम 3 करोड़ रुपये के अधीन)
500 करोड़ रु. और अधिक	0.5% से 2%

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता और समुदाय सशक्तीकरण पर ध्यान केन्द्रित कर हमारे समाज की महत्वपूर्ण जरूरतों का समाधान करके स्थायी प्रभाव डालना है।

(ग) और (घ): जी, हां। सभी महापत्तन प्राधिकरणों ने समुदाय कल्याण पहलों, को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर पत्तनों के निकट स्थानीय समुदायों हेतु, विभिन्न उपाय किए हैं। सीएसआर परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल गतिविधियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा और कौशल विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण का संरक्षण और पुन:स्थापन और पारिस्थितिकी तथा सतत विकास लक्ष्य आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान महापत्तनों द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

पत्तन का नाम	**वित्त वर्ष 2022-23 में सीएसआर गतिविधि में किया गया व्यय (करोड़ रु. में)**
नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण	2.07
कोचिन पत्तन प्राधिकरण	1.52
श्यामा प्रसाद मुखजी पत्तन प्राधिकरण	0.41
पारादीप पत्तन प्राधिकरण	8.58
मुरगांव पत्तन प्राधिकरण	0.0027
कामराजर पत्तन प्राधिकरण	9.80
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण	10.14
विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण	0.27
वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण	1.84
जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण	1.22

*****